FORM 21 C

See rule 64

(For use in Genral Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act,1951

> Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 34-Dhod (S.C.) Assembly constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri GORDHAN

VPO-SARWADI TEH-DHOD DIST.-SIKAR (RAJ.) 332030

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: SIKAR

Date: 03 December 2023

Returning Officer

Assembly Constituency, Dhod (34) (SC)

(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate Dhod)

(Kunal Rahar)
Returning officer
Assembly Constituency Dhod (034) (SC) Sub. Divisional officer & Sub. Divisional Magistrate Dhod (Sikar)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

34-धोद (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-श्री गोरधन ग्राम-पो.- सरवड़ी, तहसील-धोद, जिला-सीकर (राज.) 332030 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: सीकर

दिनांक: 03 दिसम्बर 2023



(कुणाल राहड़) रिटर्निंग ऑफिसर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, धोद (34)(अजा) (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद)

> (कुणाल राहड़) रिटर्लिंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धोद(034)(अजा) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद(सीकर)